(264)

संख्या : 95/XIII(II)/2013–03(08)/2013

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 19 फरवरी, 2013

विषयः पन्तनगर विश्वविद्यालय परिसर में नगला कॉलोनी के आवासों में विशेष मरम्मत/पुताई कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, पन्तनगर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : वि.नि./बजट/2013/364 दिनांक 12जनवरी, 2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु पन्तनगर विश्वविद्यालय की निर्माण इकाई, सामान्य खण्ड द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 37.29लाख की तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 37.29लाख (₹ सैंतीस लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्य इसी धनराशि से ही वांछित गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाएगा एवं भविष्य में इस कार्य के आगणन का कोई पुनरीक्षण किसी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
2. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविद्दा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2012 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...

11. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
12. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
13. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
14. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
15. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
16. उक्त अनुदान का देयक पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या 17' के लेखाशीर्षक "2415–कृषि अनुसंधान–00–आयोजनागत–80–सामान्य –120–अन्य संस्थाओं को सहायता–08–कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1302171813 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 167(पी)/XXVII(4)/2013 दिनांक 14फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त सहमति क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 95 (1)/XIII(2)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त नियंत्रक, पंतनगर विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
अनुसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Agriculture (Grants) (9026)

आवंटन पत्र संख्या - 95 | अलोटमेंट आई डी - H1302171813

अनुदान संख्या - 017 | आवंटन पत्र दिनांक - 18-Feb-2013

DDO Name - District Magistrate (For Grants)U S Nagar (4183) , Treasury - U S Nagar (7500)

1: लेखा शीर्षक - 2415 - कृषि अनुसन्धान | 80 - सामान्य

120 - अन्य संस्थाओं को सहायता | 08 - कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की व

00 -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	3861000	3729000	7590000
	3861000	**3729000**	**7590000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3729000